राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

सत्यमेव जयते

वैशाख 01, मंगलवार, *शाके* 1948- अप्रेल 21, 2026

Vaisakha 01, Tuesday, Saka 1948- April 21, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 04, 2025

संख्या प.9(78)**राज-1/2025-**27347:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **जयपुर जिले की तहसील चौमूं** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियां को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या- 8 के अनुसार है:-

क्र सं	**जिला / तहसील**	**ग्राम पंचायत / पंचायत समिति**	**मूल राजस्व ग्राम का विवरण**			**प्रस्तावित ग्राम का विवरण**			**दूरी KM**	**मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (में.है)**
			ग्राम का नाम	**क्षेत्रफल (में .है)**	**जन संख्या 2011**	**ग्राम का नाम**	**क्षेत्रफल (में .है)**	**जन संख्या 2011**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	**जयपुर / चौमूं**	**सांदरसर / गोविन्दगढ**	**सांदरसर LG Code 79390**	**655.0950**	**3188**	**आमली की ढाणी Amli Ki Dhani**	**222.3850**	**950**	**2**	**432.7100**
2		**आष्टीकलां /**	**आष्टीकलां LG Code 79353**	**1408.0300**	**4078**	**नाडा Nada**	**259.4860**	**1138**	**6**	**1148.5440**

		गोविन्दगढ								

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, जयपुर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।